

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ. 2 (ग) (केडर रिव्यू) अलेसे-I/ 8885-90

दिनांक :- 08/9/2015

केडर स्ट्रेन्थ आदेश संख्या ...19/2015-16

वित्त विभाग द्वारा अधिसूचना प.2(11) वित्त/राजस्व/96 पार्ट-II दिनांक 24.05.13 द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की केडर स्ट्रेन्थ में पंचायती राज विभाग की अनुसूची में पंचायत समिति ऋषभदेव में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। तथा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।। का एक एक पद शामिल किया गया था। राजस्थान राज-पत्र विशेषांक दिनांक 05.11.2014 द्वारा 47 नई पंचायत समिति के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश दिनांक 13.05.15 द्वारा 47 नवगठित पंचायत समिति में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। तथा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।। का एक एक पद स्वीकृत किया गया है। उक्त आदेशों के अनुसरण में विभागीय आदेश संख्या 03/2015-16 दिनांक 25.06.2015 द्वारा पंचायत समिति ऋषभदेव में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। तथा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।। का एक एक पद शामिल किया गया है।

इस प्रकार पंचायत समिति ऋषभदेव में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। तथा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।। के एक एक पदों का दोहराव हो गया है। अतः राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की केडर स्ट्रेन्थ में पंचायती राज विभाग की अनुसूची में पंचायत समिति ऋषभदेव में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। तथा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।। का एक एक पद समाप्त किया जाता है। पंचायत समिति ऋषभदेव में अब सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। तथा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।। के एक एक पद रहेंगे।



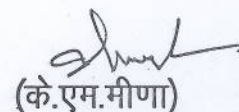
(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ. 2 (ग) (केडर रिव्यू) अलेसे-I/ 8885-90

दिनांक :- 08/9/2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर।
2. पंचायत समिति ऋषभदेव।
3. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) वेबसाइट पर अपलोड एवं पी.आई.एस. में इन्द्राज करने हेतु।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
5. पदस्थापन सहायक अलेसे-I/II/III विभागीय अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किये जावें।



(कै.एम.मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)